न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 392/2023 | दायर दिनांक 13.12.2023 | निर्णय दिनांक 24.01.2024

उनवान

1. श्री गोपाल पुत्र जगन्नाथ माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति नन्दु पत्नि जगन्नाथ माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3. पुष्पा पुत्री जगन्नाथ माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री गणेशलाल उर्फ गणपतलाल पुत्र रोडा माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2 प्रेम पुत्री रोडा माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3 श्री पीरूलाल पुत्र रोडा माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
4 श्री रूपा पुत्र किशना माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
5 श्रीमति लादी बाई पत्नी रोडा माली, निवासी पुर हाल निवासी भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्यामलाल वेद
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 2136 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 6523 रकबा 0.2655 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 5 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया। पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी 2069–2073 के खाता संख्या 2136 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 6523 रकबा 0.2655 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आह्लाद [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा